

2025/1020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

भागीरथ मल वनाम तहसील दास सीकर ग्रामीण
 किस्म मुकदमा 136 एल मु.नं. 552 वर्ष 2025

दिनांक आज्ञा - पत्र

25/11/25

प्रार्थी भागीरथ मल पुत्र दाना राम जाति जाट निवासी ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम कासली पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 686 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि भागूराम पुत्र दानाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है तथा ग्राम कासली पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 122 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि भागीरथराम पुत्र दानाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि भागीरथ मल पुत्र दाना राम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि भागीरथ मल पुत्र दाना राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि भागूराम पुत्र दानाराम/भागीरथराम पुत्र दानाराम के स्थान पर भागीरथ मल पुत्र दाना राम दुरुस्त किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/23 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।

अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कासली पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 686 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि भागूराम पुत्र दानाराम के स्थान पर भागीरथ मल पुत्र दाना राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम कासली पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 122 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि भागीरथराम पुत्र दानाराम के स्थान पर भागीरथ मल पुत्र दाना राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/23 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर तकमील दाखिल दफ़तर हों।



उपखण्ड अधिकारी,
 धौद जिला सीकर
 उपखण्ड अधिकारी
 धौद जिला-सीकर

